

कोटि की कम लागत वाली फिल्मों के निर्माण हेतु तथा सिनेमा उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए फिल्म वित्त नियम स्थापित किया हुआ है। कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए अपने अपने फिल्म विकास नियम स्थापित किए हुए हैं।

#### सभु उद्योगों की स्थापना करने के लिए सर्वेक्षण

3929. श्री स्थानक लाल धूम्र : क्या उद्योग मर्दी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खनिजों तथा बन उत्पादों जैसे कच्चेमाल से सपन जिलों का सर्वेक्षण कराने की कोई योजना है ताकि उनसे सर्वांगीत लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए उपयुक्त स्थानों का पता लगाया जा सके,

(ख) यदि हा, तो उसका व्योग क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस उद्देश्य के लिए अब तक योजना न बनाने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (कृमरारी आमा भवती) : (क) स्थानीय स्रोतों, स्थानीय कुशलता और स्थानीय भाग के आधार पर लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना करने की दृष्टि से लगभग सभी जिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिस में देश के सभी जिले घोड़ी सी अवधि में ही आ जाएंगे, विद्यमान लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने और नये शौद्धोगिक किया कलाप की स्थापना के लिए सर्वेक्षणों की सर्वीक्षा की जायेगी।

(ख) और (ग). प्रग्न ही नहीं उठते।

राजभाषा अधिनियम, 1968 के उपबन्धों की क्रियान्विति

3930. श्री राम प्रसाद देशभूष्म : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन के मत्तालय/विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1968 और उस के अन्तर्गत जून, 1976 में बनाये गये नियमों के बारे में अपने सदृढ़ और अधीनस्थ कार्यालयों को सूचना देती है तथा क्या उन्हें इनको क्रियान्वित करने के लिए कहा गया है,

(ख) यदि हा, तो मत्तालय/विभाग ने उत्तर दिया है कि उक्त उपबन्धों और नियमों का पूरी तरह ने पालन किया जा रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं और उक्त नियमों का पूरी तरह से पालन मुश्यित्वित करने के लिए क्या कार्यालयी की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल धूम्र अद्वाणी) : (क) जी हा।

(ख) और (ग). यथा सरोषित राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा (सघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के उपबन्धों को यथा सम्बन्ध हृद तक कार्यान्वित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पूरी तरह पालन न होने के मुख्य कारण हैं पर्याप्त अनुवाद सुविधाओं और हिन्दी टाइपिस्टों आदि की कमी तथा अधिकाश प्रविकारियों/कर्मचारियों का हिन्दी में प्रवीन न होना या हिन्दी में काम करने का अस्थान न होना। उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

(1) मंत्रालय के विभिन्न सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त हिन्दी के